भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 40
जिसका उत्तर बुधवार 16 नवंबर, 2016 को दिया जाना है

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों से कच्चे माल के प्रापण संबंधी उपबंध का अनुपालन न किया जाना

40. श्री विवेक गुप्ता:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अनेक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने अपने कुल कच्चे माल के 20 प्रतिशत भाग को सूक्ष्म और लघु उद्यमों से प्राप्त करने के उपबंध का उल्लंघन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उन केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने इस उपबंध का उल्लंघन किया है;

(ग) क्या सरकार ने उन केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है जिन्होंने उक्त उपबंध का उल्लंघन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (घ): विकास आयुक्त, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, ने सूचित किया है कि केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 105 उपक्रमों द्वारा सूचित किए गए आंकड़ों में से केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 53 उपक्रमों ने वर्ष 2015-16 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से 20% से अधिक प्रापण किया है। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों के नाम, जिन्होंने 20% की अपेक्षा को पूरा नहीं किया है, अनुबंध में दिए गए हैं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के आदेश के लिए सार्वजनिक प्रापण नीति के तहत उल्लंघनकर्ता प्रापण एजेन्सियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, लोक उद्यम विभाग ने सार्वजनिक प्रापण नीति के उपबंधों के अनुसार 20% अनिवार्य प्रापण करने में विफल रहने वाले केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के समझौता ज्ञापन के वार्षिक मूल्यांकन के समय 1 अंक (मार्क) तक जुर्माने के बारे में अनुदेश जारी किए हैं।

*****

अनुबंध

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों के नाम जिन्होंने 2015-16 में सूक्ष्म और लघु उद्यमों से कुल प्रापण का 20% से कम प्राप्त किया है

क्र.सं.	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम
1.	राइट्स लिमिटेड
2.	राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम
3.	अंडमान एंड निकोबार आइलैंड फोरेस्ट एंड प्लांट डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
4.	एनएमडीसी लिमिटेड
5.	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
6.	ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमि टेड
7.	मडगांव डॉक लिमिटेड (पी)
8.	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (पी)
9.	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (पी)
10.	बीईएमएल लिमिटेड (पी)
11.	मॉयल लिमिटेड (पी)
12.	राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
13.	मिश्र धातु निगम लिमिटेड
14.	एनटीपीसी लिमिटेड
15.	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
16.	एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स (इंडिया) लिमिटेड
17.	एनएचपीसी लिमिटेड
18.	पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन
19.	हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड
20.	टीएचडीसी लिमिटेड
21.	एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
22.	इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड
23.	मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड
24.	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड
25.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
26.	उर्वरक एवं रसायन (त्रावणकोर) लिमिटेड
27.	नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड
28.	स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
29.	बीबीजे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
30.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड
31.	इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन
32.	तेल एवं प्राकृतिक गैस कार्पोरेशन लिमिटेड
33.	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड
34.	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड
35.	ऑयल इंडिया लिमिटेड
36.	आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड
37.	एम.एस.टी.सी. लिमिटेड
38.	कोल इंडिया लिमिटेड
39.	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
40.	फ्रैश एंड हेल्दी एन्टरप्राइजेज लिमिटेड
41.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
42.	इंडिया टूरिज्म देव कार्पोरेशन लिमिटेड
43.	एनएचडीसी लिमिटेड
44.	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
45.	सेल रिफ्रेक्ट्री कंपनी लिमिटेड

****